(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 07 / 2014

बउनवान

सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जर्ये जिला पुलिस अधीक्षक महो., बारॉ

(सायल)

बनाम

हजारीलाल पुत्र मदनलाल जाति कण्डारा निवासी चन्द्र शेखर कॉलोनी, तहसील के पीछे छबडा जिला बारॉ

(गैरसायल)

इस्तगासा अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3

उपस्थिति :– 1– ए.पी.पी. (सायल)

2– श्री चन्द्र प्रकाश यादव अभिभाषक (गैरसायल)

निर्णय दिनांक 14.10.2019

वाक्यात मामला इस्तगासा इस प्रकार है कि गैरसायल हजारीलाल पुत्र मदनलाल जाति कण्डारा निवासी चन्द्र शेखर कॉलोनी, तहसील के पीछे छबडा जिला बारॉ के विरूद्व जिला पुलिस अधीक्षक बारॉ द्वारा राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि गैरसायल के खिलाफ थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ ने जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बारां को रिपोर्ट की है कि पुलिस थाना छबडा क्षेत्र के अन्तर्गत गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा, जुआ सट्टा खैलने खिलाने की अवैधानिक गतिविधियों में संलिप्त है। इसके विरूद्व पुलिस थाना छबडा में वर्ष 2001 से 2013 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.(15) एवं अन्तर्गत धारा 16 / 54 आबकारी अधिनियम (1) के तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से 15 प्रकरणो मे अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस व्यक्ति के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत विधिक कार्यवाही कर इस जिले की सीमाक्षेत्र से निष्कासित किया जावे।

इस प्रकार गैरसायल द्वारा आपराधिक कार्य किये जिससे सार्वजनिक शांतिभंग होने से आम जनता मे भय का वातावरण उत्पन्न होता है। गैरसायल को 15 प्रकरणों में अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय द्वारा दोष सिद्व भी ठहराया जाकर सजायाब किया जा चुका है। यह गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसके विरूद्व अन्तर्गत राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 धारा–3 के तहत कार्यवाही की जावे। इस्तगासा विरूद्व गैरसायल के पेश कर, उक्त आपराधिक कृत्य में मशगूल होने से गैरसायल को गुण्डा घोषित किया जाकर, उसे राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत जिले से निष्कासित करने के आदेश चाहे गये।

इसके उपरांत गैरसायल के विरूद्व प्रस्तुत इस्तगासे को दिनांक 25.02.2014 को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा पुलिस द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे एवं साक्ष्य के सारगर्भित बिन्दुओ को दर्शाते हुए गैरसायल को आहूत किया गया तथा गैरसायल की जर्ये सम्मन तलबी की गई। गैरसायल द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर, प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे अभिभाषक मेरा सहयोग नही कर रहे है, मेरी उम्र 65 वर्ष करीबन है, मैं वर्तमान मे काफी बीमार चल रहा हूॅ, ओर चलने फिरने मे भी असमर्थ होने के कारण तारीख पेशी पर आने मे काफी परेशानी होती है। मेरे विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही मेरी वृद्वावस्था एवं बीमारी की हालत को देखते हुये निरस्त किये जाने की कृपा करे अन्यथा मैं स्वंय जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा जिला कोटा मे उपस्थिति देने हेतु सहमति जाहिर कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस ए.पी.पी.सरकार पक्ष का मुख्य कथन है कि गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबडा में वर्ष वर्ष 2001 से 2013 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.(15) एवं अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम (1) के तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से 15 प्रकरणो मे अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है। फिर भी इसकी दिनों दिन आपराधिक गतिविधियॉ बढती जा रही है। जिससे समाज के व्यक्तियों व आम जनता में भय, निरन्तर बढता जा रहा है। इसके बावजूद भी इसकी आपराधिक गतिविधियो पर कोई अंकुश नही लग रहा है। इसके विरूद्व लोग रिपोर्ट करने में कतराते है एवं साक्ष्य देने से भी डरते है। इसकी आपराधिक गतिविधियॉ निरन्तर जारी है। इसकी आम शौहरत ठीक नही है। अपराधी का स्वतन्त्र रहना लोकशांती एवं जनहित में हितकर प्रतीत नही है। कानून व्यवस्था एवं लोक शान्ति को दृष्टिगत रखते हुये इसके क्रिया कलापों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। इस आपराधिक सजायाबी रिकार्ड के आधार पर गैरसायल के विरूद्व राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा–3 के अन्तर्गत अपराध प्रमाणित है। उक्त केसो की पुष्टि सरकार पक्ष की ओर से प्रस्तुत अभिलेखो से होती है। यह व्यक्ति आपराधिक गतिविधियो मे लिप्त है। अतः गैरसायल को जिला बदर किया जावे।

इसके विपरीत गैरसायल द्वारा स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मेरे अभिभाषक मेरा सहयोग नही कर रहे है, मेरी उम्र 65 वर्ष करीबन है, मैं वर्तमान मे काफी बीमार चल रहा हूॅ, ओर चलने फिरने मे भी असमर्थ होने के कारण तारीख पेशी पर आने मे काफी परेशानी होती है। मेरे विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही मेरी वृद्वावस्था एवं बीमारी की हालत को देखते हुये निरस्त किये जाने की कृपा करे अन्यथा मैं स्वंय जिला बदर की कार्यवाही के अनुरूप पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा जिला कोटा मे उपस्थिति देने हेतु सहमति जाहिर कर, प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण करवाना चाहता हूॅ। जिसमे मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

हमने ए.पी.पी. प्रथम अभियोजन पक्ष सरकार एवं गैरसायल स्वंय की उभयपक्ष बहस सुनी तथा इस्तगासे में प्रस्तुत अभिलेखो का अवलोकन किया जाकर, मनन किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। गैरसायल के विरूद्व पुलिस थाना छबडा में वर्ष 2001 से 2013 तक की अवधि में कुल 16 आपराधिक प्रकरण अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ.(15) एवं अन्तर्गत धारा 16/54 आबकारी अधिनियम (1) के तहत दर्ज हुये है। उक्त प्रकरणों में से 15 प्रकरणो मे अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के तहत न्यायालय से सजायाब भी हो चुका है।

अतः उक्त समस्त तथ्यों अनुसार यह साबित होता है कि गैरसायल हजारीलाल पुत्र मदनलाल जाति कण्डारा निवासी चन्द्र शेखर कॉलोनी, तहसील के पीछे छबडा जिला बारॉ द्वारा उक्त अपराध किए गए है। जिसके आधार पर गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 2 (आ) की परिभाषा मे आना पूर्णतया सिद्व है, क्योकि धारा 2 (आ) के प्रावधान के अनुसार गैरसायल अन्तर्गत धारा 13 आर.पी.जी.ओ के तहत कुल 15 प्रकरणों में न्यायालय से सजायाब हो चुका है।

अतः गैरसायल हजारीलाल पुत्र मदनलाल जाति कण्डारा निवासी चन्द्र शेखर कॉलोनी, तहसील के पीछे छबडा जिला बारॉ को सजायाबी रिकार्ड के आधार पर राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (आ) के तहत गुण्डा घोषित करता हूॅ तथा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) (क) के प्रावधानो के अन्तर्गत बारां जिले के पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ से 7 दिन के लिए गैरसायल को निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूॅ।

गैरसायल हजारीलाल पुत्र मदनलाल जाति कण्डारा निवासी चन्द्र शेखर कॉलोनी, तहसील के पीछे छबडा जिला बारॉ को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ क्षेत्र से 7 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। गैरसायल उक्त अवधि मे अपनी उपस्थित प्रत्येक दिवस थानाधिकारी पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा जिला कोटा को देगा। इस अवधि में अपराधी ऐसा कोई आचरण नही करेगा, जो व्यक्तियों के प्रतिकूल एवं सामान्य व्यवहार संहिता के विरूद्व हो अर्थात इस अवधि में पूर्ण सचरित्र रहेगा। किसी आपराधिक गतिविधी में भाग नही लेगा। गैरसायल न्यायालय के समक्ष 10,000/— रूपये का स्वंय का मुचलका इस अवधि मे नेकचलन रहने के संबंध मे पेश करेगा।

गैरसालय के विरूद्व यह आदेश दिनांक 01.11.2019 से प्रभावी होगा।

नियमानुसार तहरीरे जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा जिला कोटा को दी जावे। थानाधिकारी पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ को तहरीर दी जावे, जिसमे यह लिखा जावे कि गैरसायल को उक्त आदेश की पालना में जिले के पुलिस थाना छबडा जिला बारॉ से बाहर निष्कासित कर, थानाधिकारी पुलिस थाना कुन्हाडी कोटा जिला कोटा के सुपुर्द कर, पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 14.10.2019 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2019.10.23 11:18:14 IST
Reason: SelfAttested
Location: